संख्या-520/चार-2011-20(बजट)/2009

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभाग: लखनऊः दिनांक 28 फरवरी,2011

विषयः- भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ के सुदृढ़ीकरण/परिवर्द्धन हेतु मूल्यांकित प्रायोजना ₹ 130.93 लाख के सापेक्ष ₹ 60.00 लाख की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2644/चार-2011-20(बजट)/2009,दिनांक 19 अक्टूबर, 2010, द्वारा भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ के सुदृढ़ीकरण/परिवर्द्धन हेतु मूल्यांकित प्रायोजना ₹130.93 लाख की प्रशासकीय अनुमति तथा प्रथम किश्त की रूप में ₹ 60.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1007/बी0एम0आई0 डी0वू0-5(1)/2010, दिनांक 11 फरवरी,2011 तथा परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-26, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0,जल निगम पत्र संख्या-53/डब्लू-2/12, दिनांक 8 फरवरी,2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण/परिवर्द्धन संबंधी कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु मूल्यांकित आगणन ₹130.93 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, इकाई-26 को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, जो अनुमोदित आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य की मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- परियोजना के संबंध में शासनादेश संख्या-2644/चार-2011-20(बजट)/2009,दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में उल्लिखित शर्तें व उपबन्ध यथावत् लागू होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-800- अन्य व्यय-20-भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय,लखनऊ के भवन का सुदृढ़ीकरण/परिवर्द्धन-48-पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या ई-7-219/दस-2011, दिनांक 28 फरवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या- 520(1)/चार-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कुलपति, भातखण्डे संगीत (संस्थान)विश्वविद्यालय, कैसरबाग,लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 एवं भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय लखनऊ।
4- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
5- कुल सचिव, भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, कैसरबाग,लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 इकाई-26, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संख्या-614/चार-2011-4(बजट)/2010

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभाग: लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी,2011

विषयः- जनपद बलिया के मौजा-नेहता सिवान कलां,तह0-सिकन्दरपुर में खुला मंच (प्रेक्षागृह) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मानकीकृत आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-2043/डी0एल0आर0सी0/10, दिनांक 16 फरवरी, 2011 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,संस्कृति विभाग, वाराणसी के पत्र संख्या-289/प्रेक्षागृह बलिया/ 2010, दिनांक 26 फरवरी,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुलामंच निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/मूल्यांकित आगणन रू0 26.91 लाख (रूपये छब्बीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि से खुलामंच निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जनपद बलिया के मौजा-नेहता सिवान कलां, परगना-सिकन्दरपुर पूर्वी, तह0-सिकन्दरपुर में गाटा संख्या-1514/0.15 हेक्टेअर भूमि मान्यवर कांशीराम साहब श्री सुदर्शनराम रमावती देवी बालिका इण्टर कालेज सिवानकला द्वारा शासन के पक्ष में निःशुल्क रजिस्ट्री की गयी है, इसी भूमि पर एक खुला मंच निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित नियमों के अन्तर्गत आहरित कर जिलाधिकारी, बलिया को उपलब्ध करायी जायेगी जो कार्यदायी संस्था- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बलिया को उक्त निर्माण कार्य हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था संलग्न अनुमोदित आगणन की मात्राओं के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यय करेंगे। खुला मंच निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति,संस्कृति विभाग, वाराणसी उ0प्र0 के माध्यम से संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- खुला मंच(प्रेक्षागृह)निर्माण हेतु भूमि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति संस्कृति विभाग, वाराणसी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया को हस्तागत करायी जाएगी। खुला मंच (प्रेक्षागृह) के संचालन/रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या-718/चार-09-43 (बजट)/ 2007, दिनांक 27 फरवरी,2009 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित गठित समिति के माध्यम से व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उसपर आने वाला अनावर्तक/आवर्तक व्यय का भार राजकोष पर नहीं पड़ेगा।

4- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर दिनांक 30 जून,2011 तक समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जाये और न ही कोई वित्तीय वादा किया जाये जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

6- उक्त योजना पर व्यय स्वीकृत आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी भी दशा में अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि बच जाती है या निर्माण संबंधी किसी मद से बचत हो तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षित लेखे शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय प्रेक्षागृह/खुलामंच निर्माण की चालू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04 कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/ खुलामंच का निर्माण-24 -वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

/

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

------2पर

संख्या-614(1)/चार-2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखापरीक्षा (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बलिया
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, संस्कृति विभाग, वाराणसी।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बलिया परिक्षेत्र, आजमगढ़।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया को इस निर्देश के साथ कि खुलामंच निर्माण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, वाराणसी से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा कार्य की भौतिक प्रगति से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।
9- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संख्या-1110/चार-10-7(बजट)/2010

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः:दिनांक 26 फरवरी,2011

विषयः- "सन्त रविदास कला सम्मान" पुरस्कार समारोह के आयोजन हेतु आय-व्यय के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-198/सं0नि0-15(28)/2009-10, दिनांक 19-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि"सन्त रविदास कला सम्मान" पुरस्कार तथा पुरस्कार के निमित्त समारोह के आयोजन हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक 42-अन्य व्यय में प्रावधिानित धनराशि ₹ 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृति धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नही की जायेगी। धनराशि उसी मदों पर ही व्यय की जाएगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है, अन्य मदों पर कदापि व्यय नही की जायगी। स्वीकृति धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में समर्पित कर दिया जाएगा तथा बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-7-190/दस-2011, दिनांक 23 फरवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनु-4
5- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-242/चार-2011-25(बजट)/2010टी0सी0

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांक 26 फरवरी,2011

विषयः- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में कराये गये अनुरक्षण संबंधी कार्यों की प्रशासनिक एवं व्यय की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-1802/सं0नि0-25(120) /2006, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 तथा पत्र संख्या-2880/सं0नि0-25(120)/2006, दिनांक 21 जनवरी,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह के रख-रखाव हेतु निर्माण इकाई— सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-26, उ0प्र0, जल निगम लखनऊ के माध्यम से 04 अवसर पर कराये गये छिटपुट कार्यों के सम्पादन हेतु ₹ 1,20,710.00 (रू0 एक लाख बीस हजार सात सौ दस मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति/व्यय की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए धनराशि परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-26 उ0प्र0 जलनिगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- संस्कृति निदेशालय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-989/चार-10-83(बजट) /06 टीसी-2, दिनांक 06-04-2010 द्वारा निर्गत की जा चुकी है, जो निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर रखी है।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-29-अनुरक्षण मद के नामें डाला जाएगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-165/बस-2011, दिनांक 23 फरवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)प्रथम,/लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संख्या-502/चार-11-66(बजट)/2007

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ::दिनांक 26 फरवरी 2011

विषयः- राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 के मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों के भुगतान हेतु अनुमति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-3085/सं0नि0-7(4)/2007, दिनांक 14-02-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 के मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु अकादमी के आयाजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानद मद 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की मद से ₹ 4.45 लाख (रू0 चार लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि वहन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अनुमति मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों आदि के लम्बित बिलों भुगतान के निमित्त है। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- धनराशि का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्कयता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-194/दस-2011,दिनांक 23 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/ इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सचिव, उ0प्र0राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।
8- लेखाधिकारी संस्कृति निदेशालय, जवाहरभवन लखनऊ

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 276/चार-2011-43(बजट)/2007

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभागः लखनऊः : दिनांक 11 फरवरी,2011

विषयः- जनपद आजमगढ़ की तहसील व ग्राम- मेंहनगर परगना- बेला दौलताबाद में खुलामंच निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मानकीकृत आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या-1272/डी0एल0आर0सी0/10, दिनांक 20-03-2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुलामंच निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/मूल्यांकित आगणन रू0 26.91 लाख (रूपये छब्बीस लाख इकयानबे हजार मात्र) की धनराशि से खुलामंच निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जनपद आजमगढ़ की तहसील व ग्राम- मेंहनगर में गाटा संख्या-1508/0.100 हेक्टेअर तथा गाटा संख्या-1509/0.050 हेक्टेअर अर्थात कुल भूमि 0.150 हेक्टेअर प्रेक्षागृह निर्माण हेतु आरक्षित की गयी है, में एक खुला मंच निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित नियमों के अन्तर्गत आहरित कर जिलाधिकारी, आजमगढ़ को उपलब्ध करायी जायेगी जो कार्यदायी संस्था- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,आजमगढ़ को उक्त निर्माण कार्य हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था संलग्न अनुमोदित आगणन की मात्राओं के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यय करेंगे। खुला मंच निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति फैजाबाद,संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- खुला मंच(प्रेक्षागृह)निर्माण हेतु भूमि जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को हस्तगत करायी जाएगी। खुला मंच (प्रेक्षागृह) के संचालन/रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या-718/चार-09-43(बजट)/2007, दिनांक 27 फरवरी,2009 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित गठित समिति के माध्यम से व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उसपर आने वाला अनावर्तक/आवर्तक व्यय का भार राजकोष पर नही पड़ेगा।

4- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नही किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर दिनांक 30 जून,2011 तक समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जायें और न ही कोई वित्तीय वादा किया जाये जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त योजना पर व्यय स्वीकृत आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी भी दशा में अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि बच जाती है या निर्माण संबंधी किसी मद से बचत हो तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षित लेखें शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय प्रेक्षागृह/खुलामंच निर्माण की चालू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04 कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या- 276(1)/चार-2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखापरीक्षा (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, संस्कृति विभाग, फैजाबाद।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ पारेक्षेत्र, आजमगढ़।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि खुलामंच निर्माण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, फैजाबाद से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा कार्य की भौतिक प्रगति से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जावेगा।
9- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संख्या-3720/चार-2010-5(बजट)/2010

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभाग: लखनऊः दिनांक 24 जनवरी,2011

विषयः- रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुरक्षण हेतु 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (आयोजनागत पक्ष) की मद मे रू0 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-2848/सं0नि0-16(46)/97-2010टीसी, दिनांक 04 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि कला एवं संस्कृति के सम्बर्द्धन की योजनान्तर्गत रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुरक्षण के लिए आयोजनागत पक्ष में मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 20.00 लाख से प्रेक्षागृह की 137 क्षतिग्रस्त कुर्सियों (बी0आई0पी0 रो) एवं कालीन(कारपेट) को बदलने हेतु रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रशासक/प्रबन्धक, रविन्द्रालय, लखनऊ को सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जलनिगम इकाई-26 के संलग्न आगणन में उल्लिखित कार्यो के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि संलग्न आगणन में उल्लिखित मदों पर व्यय की जायेगी। धनराशि व्यय करने के पूर्व रविन्द्रालय, लखनऊ द्वारा अपनी कार्यकारिणी/अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य की समाप्ति के तत्काल पश्चात् संस्था की कार्यकारिणी/अध्यक्ष से सत्यापित कराकर निदेशक, संस्कृति निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-102-कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन-03-रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-16/दस-2011, दिनांक 18 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0जल निगम, इकाई-26, लखनऊ।
7- प्रशासक कम प्रबन्धक, रविन्द्रालय, चारबाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-20/2010, दिनाक 3 फरवरी, 2010 के संदर्भ में।
8- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-3699(1)/चार-10-19(बजट)/2008

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांक 19 जनवरी,2011

विषयः-संस्कृति निदेशालय के लिए गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-1578/सं0नि0-19स्टोर(बजट)/2006, दिनांक 24 सितम्बर,2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति निदेशालय के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। पूर्व स्वीकृति धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात् ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्कयता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार -03-राज्य अभिलेख-10-जलकर/जल प्रभार में होने वाली बचतो से संकलित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मद के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1408(1)/दस-2010, दिनांक 13 जनवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखा परीक्षा, प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।
6- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशा0, जवाहर भवन, लखनऊ

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम 92–संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2010–11 प्रपत्र–बी.एम. 09(भाग–1) (धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2205001040300 10	1530	500	500	500	1030	2205000010300 15	480	980	500	500	980
योग	1530	500	500	500	1030	योग	480	980	500	500	980

(1) उपलब्ध बचते-- वर्तमान वित्तीय वर्ष में संबंधित लेखाशीर्ष की प्रस्तावित मानक मद में कम आवश्यकता होने के कारण।

(2) अधिक व्यय का कारण– कार्यकलापों में वृद्धि, पेट्रोल, डीजल के मूल्यों में वृद्धि तथा अनुरक्षण सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या– आर.ई.–373/ई–7– 1408/दस–2010, दिनांक 17 जनवरी,2011

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (धीरेन्द्र प्रताप सिंह) अनु सचिव

संस्कृति विभाग

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (इन्द्राणी लाल), अनुसचिव।

वित्त विभाग

ॐ

संख्या-3172/चार-2010-83(बजट)/2006टी0सी0-11

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांक 13 जनवरी,2011

विषयः- छठें वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप देय अवशेष वेतन के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2960/चार-2010-83(बजट)/2006टी0सी0-11,दिनांक 08 नवम्बर, 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप श्री 40% अन्तिम अवशेष वेतन के भुगतान हेतु रू0 13.12 लाख की मांग के सापेक्ष ₹ 46,000.00 (रू0 छियालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के पत्र संख्या-1872/सं0नि0-19स्टोर(बजट)/2006, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के देय अवशेष वेतन एरियर के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय संलग्न विवरणानुसार रू0 12.66 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते है।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद हेतु ही आहरित की जायेगी, अन्य मदों पर कदापि नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्कयता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-12-अवशेषों का भुगतान-12-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की मद में उपलब्ध बचतों को संक्रामित कर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-12-अवशेषों का भुगतान-1-वेतन के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1458(1)/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी, 2011में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)प्रथम,/लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संख्या- 3172/चार-2010- 83(बजट)/2006टीसी-II, दिनांक 13 जनवरी,2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1(तीन प्रतियों में).
6- गार्ड बुक/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

अवनीश कुमार अवस्थी,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊः दिनांक 5 जनवरी,2011

विषयः- उ0प्र0जैन विद्या शोध संस्थान को 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (आयोजनागत) की मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1250/चार-2010-62(बजट)/07, दिनांक 17मई, 2010 द्वारा संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आयोजनागत पक्ष में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उपरोक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-1903/सं0नि0-20 (आडिट-यू0सी0)/09-10, दिनांक 25-10-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0जैन विद्या शोध संस्थान के कार्य कलापों हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता की मद में अवशेष धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा स्वीकृत धनराशि आपके निबर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नही किया जाएगा बल्कि आवश्यकतानुसार नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नही की जायेगी। धनराशि उन्हीं मदों पर ही व्यय की जाएगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है, अन्य मदों पर कदापि व्यय नही की जायगी। स्वीकृति धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में समर्पित कर दिया जाएगा तथा बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों के साथ साथ वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-3-2010 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-101- ललित कला शिक्षा-16- उ0प्र0जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ को अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-7-1405/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

ज्ञापांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनु-4
7- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 32(1)/11/चार-11-65(बजट)/2007

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी,2011

विषय:- उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,लखनऊ को 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान (आयोजनेत्तर) की मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-992/चार-2010-65(बजट)/06टीसी III, दिनांक 06 अप्रैल, 2010 द्वारा शासन की चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 49.15 लाख (रू0 उनचास लाख पन्द्रह हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा बल्कि आवश्यकतानुसार नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की जायेगी। धनराशि उन्हीं मदों पर ही व्यय की जाएगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है, अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं की जायगी। स्वीकृति धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में समर्पित कर दिया जाएगा तथा बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका व सुसंगत नियमों के साथ साथ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-3-2010 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-03-उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी लखनऊ को अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1406(1)/दस-2010 दिनांक 04 जनवरी 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

प्रष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
7- बैंक अधिकारी, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/संप्रेक्षण समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-3219/चार-10-65(बजट)/2007

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग   लखनऊ:दिनांक 5 जनवरी,2011

विषय:-उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (आयोजनागत पक्ष) से अवशेष धनराशि रू0 45.00 लाख की वित्तीय धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1398/चार-2010-65(बजट)/2007, दिनांक 31-05-2010 द्वारा अकादमी को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की जा चुकी है।

2- उपर्युक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-1898/सं0नि0-20(आडिट-यू0पी0)/09-10, दिनांक 25-10-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के कार्य कलापों तथा मा0 उप-सभापति एवं सदस्यों के मानदेय के भुगतान हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद में अवशेष धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालिस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-3-2010 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में सुसंगत शासनादेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-101-ललित कला शिक्षा-07-उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1406/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनु-4
7- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-3219(2)/चार-10-65(बजट)/2007

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ:दिनांक 05 जनवरी,2011

विषय:- उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी लखनऊ को 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (आयोजनेत्तर पक्ष) में प्रावधानित धनराशि रू0 3.00 लाख की वित्तीय धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1393(1)/चार-2010-65(बजट)/2007, दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा अकादमी को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता की मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की जा चुकी है।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के वचनबद्ध व्ययों के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता की मद में अवशेष रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बंध मे वित्त विभाग के मितव्यता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-07-उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1406(2)/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
7- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नामः 92-संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2010-11 प्रपत्र-बी.एम.-15 (धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220500800120043	8258	1266	1266	1266	6992	220500800120001	16445	17711	1266	1266	17711
योग	8258	1266	1266	1266	6992	योग	16445	17711	1266	1266	17711

(1) उपलब्ध बचतें-- सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने से वास्तविक व्यय के कारण

(2) अधिक व्यय-- गत वर्ष की अपेक्षाकृत कम बजट प्रावधान होने के कारण ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.- 344/ई-7- 1458/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी,2010

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (धीरेन्द्र प्रताप सिंह) अनु सचिव

संस्कृति विभाग

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (इन्द्राणी लाल) अनु. सचिव।

वित्त विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या–३९०५/ चार–2010
लखनऊः दिनांक ३० दिसम्बर,2010

कार्यालय–आदेश

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों के अनुदान का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। इनका मोबाइल नं0- 9454411968 एवं कार्यालय दूरभाष नं0-0522 -2237047 है।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग को उनके पत्र संख्या–एफ0सी0–343 / दस–2010–30 / 2010, दिनांक 28.12.2010 के संदर्भ में।
2. विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन।
3. श्री गौरव पाठक, वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।